NOTIFICATION

Samastipur, the 16th August, 2023

ORDINANCE

No. 409/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education as per resolution passed by the Board of Management in its 16th meeting held on 28.10.2021 has approved to make an Ordinance regarding the appointment and emoluments of employees other than those for whom provisions has been made in the Statutes of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusavide No. 5-42/2021-CAU (e-4658) dated 31st July, 2023 as under:

1. The detail procedure for appointment of teaching employees has already been notified vides Gazette Notification No. 81/RPCAU dated 15.9.2017 (Service and Recruitment Rules (Teaching Employees), 2017 which is in operation.
2. The detail procedures for appointment of nonteaching employees have already been notified vide Gazette Notification No. 82/RPCAU dated 15.9.2017 (Service and Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2017 which is in operation.
3. The scale of pay of employees of the University shall be as prescribed by the Board of Management with prior approval of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agricultural Research and Education, Government of India, New Delhi and various financial agencies involved.
4. The emoluments of those employees who will be appointed on fixed emoluments like Consultants/Adjunct faculty/Scholar-on-residence etc. shall be as fixed by the Board of Management from time to time.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (j) of Section 28 (1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do hereby make the first Ordinance and notify the procedure of appointment and emoluments of employees other than those for whom provisions has been made in the Statutes in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as above.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./510/2023-24]

अधिसूचना

समस्तीपुर, 16 अगस्त, 2023

अध्यादेश

क्रमांक : 410**/डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि.(भी.सी.), पूसा.—**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न हुई 16वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाएँ और अन्य समितियों की स्थापना के संबंध में पत्रांक 5-42/2021-सीएयू (ई-4658), दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है, जो निम्नवत है :-

विश्वविद्यालय, कृषि एवं संबद्ध विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में शिक्षण एवं अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष उत्कृष्टता केंद्र, विशिष्ट प्रयोगशालाएँ, एवं उच्च अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकता है।

शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यों में कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय को प्रयोगशाला/ कर्मशाला/कंप्यूटिंग सुविधाएँ जैसी आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से लैस किया जा सकता है।

ऐसे सभी प्रस्ताव संबंधित विभागों द्वारा तैयार किए जाएंगे और विद्वत परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ, कुलपति/निदेशक (शिक्षा) को भेजे जाएंगे। प्रस्ताव पर विद्वत परिषद के मंजूरी के उपरान्त उसे प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ अग्रेषित किया जाना चाहिए।

अतः, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधिनियम, 2016 (2016 का 32) के खंड - 28(1) की उप-खंड (k) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) की पिछली मंजूरी के साथ ही मैं, कुलपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, एतद्द्वारा प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाएँ और अन्य समितियों की स्थापना के प्रावधान को जैसा की उपरोक्त विदित है, को अधिसूचित करता हूँ ।

पुन्यव्रत सुविमलेन्दु पाण्डेय, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./510/2023-24]